मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना

बढ़ते कदम–गांव की ओर

क्रियान्वयन रूपरेखा

(Implementation framework)

ग्राम्य विकास विभाग,

उत्तराखण्ड

देहरादून।

संकेताक्षर

संक्षिप्त	**परिभाषा**
सी0बी0ओ0	कम्युनिटी बेस्ड आर्गेनाइजेशन
सी0जी0एफ0	क्रिटिकल गैप फंडिंग
सी0एस0आर0	कारपोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी
आई0जी0पी0डी0पी0	इन्टीग्रेटेड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान
एम0ए0जी0वाई0	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना
एम0आई0एस0	मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम
एस0एच0जी0	सेल्फ हेल्प ग्रुप
ओ0एण्ड एम0	आपरेशन एण्ड मेंटीनेंश
वी0ओ0	विलेज आर्गेनाइजेशन

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना
बढ़ते कदम–गांव की ओर

1. पृष्ठभूमि (Banckground))

गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश का समग्र विकास संभव है। किन्तु सीमित संसाधनों, अपर्याप्त आर्थिक व्यवस्था, अल्प क्षमता विकास, भौगोलिक विषमताओं एवं विषम पारिस्थितीकीय तंत्र होने के साथ–साथ विभिन्न ग्राम स्तरीय योजनाओं में अभिसरण की कमी के दृष्टिगत, समस्त विकास योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सुनियोजित कियान्वयन तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं में आपसी तालमेल करते हुये विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत रूप में कियान्वित किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी की रीढ़ समझे जाने वाले, परम्परागत कृषि/बागवानी, पशुपालन तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प संबंधी विभिन्न आयसृजक गतिविधियों को सशक्त करते हुए रोजगार/रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ इन ग्राम पंचायतों को समस्त मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके। यद्यपि कतिपय गांवों में परम्परागत कृषि/बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन तथा तत्संबंधी क्षेत्र (Related field) में आज भी व्यापक स्तर पर बेहतर कार्य हो रहा है। साथ ही विभिन्न प्रकार की अर्थिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में भी पलायन रूका हुआ है।

उपरोक्त समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनमें कृषि/बागवानी विकास एवं संबद्ध क्षेत्र, पशुपालन तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प संबंधी तथा ग्रामीण पर्यटन में बेहतर कार्य हो रहा है एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी हो रहा है, में प्रतिफल (reward) स्वरूप इन पंचायतों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से और अधिक सुदृढ करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की पहल पर राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना–**मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना** के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया है।

2. आच्छादन (Coverage)––

योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड से एक ऐसी ग्राम पंचायत जो कृषि/बागवानी एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा हस्त शिल्प एवं हस्तकला संबंधी आर्थिक गतिविधियों में विकासखंड में सबसे अच्छा कार्य कर रही है, को इस योजना के तहत बनाये गये चयन मानदण्ड के अनुसार चिन्हित कर उस ग्राम पंचायत को राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनओं/परियोजनाओं से आच्छादित करते हुये विकास केन्द्र (Growth Centre) के रूप में विकसित करना है।

3. योजना का उद्देश्य (Objective)–

योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा सम्बद्ध क्षेत्र तथा हस्त शिल्प एवं हस्तकला संबंधी क्षेत्र मे बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, जिनमें पूर्व से ही अच्छे आर्थिक/आयसृजक गतिविधिया संचालित हों, को प्रतिफल स्वरूप राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आच्छादित करते हुये ग्राम पंचायत स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा आदि पेंशन, बीमा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं हेतु लोक सेवा सुपर्दगी प्रणाली (service delivery system) को विकसित करते हुये चयनित ग्राम पंचायत को विभिन्न विकासात्मक कार्यो के माध्यम से संतृप्त कर एक विकास केन्द्र (Growth Centre)के रूप में विकसित करना है।

4. ग्राम पंचायत का चयन मानदण्ड (Criteria for selection of Village Panchayat)––

राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में अधोलिखित मानदण्डों के आधार पर एक ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम हेतु चिन्हित करना है–

4.1 चयन की जाने वाली ग्राम पंचायत की आबादी पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 तथा मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 होनी चाहिये।

4.2 चिन्हित की जाने वाली ग्राम पंचायत में कृषि/बागवानी, हस्त शिल्प, हस्तकला, ग्रामीण पर्यटन में आयसृजक रोजगारपरक गतिविधि सर्वाधिक हों तथा प्रभावी रूप से संचालित हों।

4.3 यदि ग्राम पंचायत में महिला सामुदायिक संगठनों (एस0एच0जी तथा उनके ग्राम स्तरीय संगठन अर्थात वी0ओ0) का गठन किया जा चुका हो, ऐसी ग्राम पंचायत को अधिभार दिया जाना चाहिये।

5 योजना के अपेक्षित परिणाम (Expected Outomes of the Scheme)–

5.1 ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धनता में कमी तथा रोजगार/स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास में वृद्धि।

5.2 शत प्रतिशत ओ0डी0एफ0 आच्छादन, सभी पात्र परिवारों को पी0डी0एस0 लाभ, आधार कार्ड आच्छादन, पेंशन तथा बीमा आच्छादन, स्वास्थ्य बीमा आच्छादित ग्राम पंचायत।

5.3 कृषि तथा बागवानी विकास एवं तत्संबंधी उत्पादन में वृद्धि, मूल्य सवंर्धित उत्पाद विकास एवं विपणन।

5.4 ग्राम पंचायत में सामाजिक, मानवीय, अवसंरचनात्मक तथा पारिस्थिकीय विकास।

5.5 सुदृढ़ लोक सेवा सुपुर्दगी प्रणाली का विकास।

5.6 सुशासन।

5.7 पंचायतों में निवेश को प्रोत्साहन।

5.8 सशक्त तथा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का निर्माण।

6. योजना के आवश्यक घटक (Essential Components of the Scheme)–

प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में निम्न लिखित आवश्यक घटकों का समावेश आवश्यक होगा –

6.1 कृषि तथा बागवानी विकास, कृषि प्रसंस्करण, फल प्रंसस्करण, कृषि एवं बागवानी सेवा, तथा कृषि/बागवानी उत्पादों अथवा उनके मूल्य सवंर्धित उत्पादों के उत्पादन, भण्डारण तथा विपणन एवं तत्संबधी बैकवार्ड एवं फारवर्ड लिंकेज आदि कार्य। हस्त शिल्प तथा हस्तकला संबंधी कार्य।

6.2 मॉडल आंगनवाड़ी की स्थापना।

6.3 स्वास्थ्य सेवाये तथा मोबाइल हेल्थ यूनिट।

6.4 कौशल विकास कार्यक्रम।

6.5 विभिन्न आर्थिक, आयसृजक, रोजगार/स्वरोजगार परक, उद्यमिता विकास, क्षमता विकास, स्थानीय शिल्प एवं हस्तकला विकास, ग्रामीण पर्यटन हेतु संचालित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

6.6 पेयजल तथा सिंचाई।

6.7 संपर्क मार्ग/सड़क निर्माण तथा सार्वजनिक परिवहन।

6.8 स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन।

6.9 सार्वजनिक अवसंरचना विकास तथा नागरिक केन्द्रित सेवाओं की उपलब्धता हेतु नागरिक सुविधा केन्द्र की स्थापना।

6.10 सूचना प्रौद्यौगिकी।

6.11 ऐसे समस्त कार्य जो संबंधित पंचायत/विकासखंड/जनपद द्वारा यथानियमानुसार ग्राम पंचायत के विकास हेतु प्रस्तावित किये गये हो तथा पंचायत हेतु आवश्यक हों।

उपरोक्त घटको की सूची दृष्टांत सूची (Illistrative List) है जनपद/विकासखण्ड अन्य घटकों का समावेश भी कर सकता है।

7. मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles):

7.1 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एक वित्तपोषण की इकाई मानी जायेगी। इस योजना की निधियां, विभिन्न केन्द्र पोषित, केन्द्र पुरोनिधानित, राज्य पोषित तथा वाह्य सहायतित परियोजनाओं/योजनाओं, सी0एस0आर0 आदि के माध्यम से जुटाई जायेंगी, जिसमें केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण अथवा सीधा क्रियान्वयन, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसी येाजना प्रस्तावित की हो जिसका वित्त पोषण केन्द्र पोषित, केन्द्र पुरोनिधानित, राज्य पोषित तथा वाह्य सहायतित परियोजनाओं/योजनाओं, सी0एस0आर0 आदि के माध्यम संभव न हो तो इस हेतु चयनित पंचायतों में विकास कार्यो के प्रभावी क्रियान्यवन हेतु ऐसे प्रस्ताव राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के अनुमादनोपरांत आवश्यक पूरक वित्तपोषण (Crtical Gap funding) अथवा सी0जी0एफ0 से प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा। यद्यपि उक्त धनराशि की सीमा संबंधित ग्राम पंचायत की उस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित समस्त योजनाओं की कुल लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा।

7.2 चयनित ग्राम पंचायत में राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर तालमेल तथा प्राथमिकता दिये जाने के दृष्टिगत राज्यपोषित योजनाओं के मार्गनिर्देशों में सरकार द्वारा यथानियामानुसार संशोधन किया जा सकता है। साथ ही प्रभावी कियान्यवन हेतु इस योजना के फ्रेमवर्क में भी तदानुसार संशोधन किया जा सकेगा। इस हेतु समय–2 पर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उपयुक्त परामर्शिका जारी की जायेगी।

7.3 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रभावी कियान्यवन के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा कियान्वयन रूपरेखा (Implementation Framework) जारी की जा रही है ताकि जनपद अपने स्तर पर कियान्वयन रूपरेखा के अर्न्तगत संबंधित ग्राम पंचायत में वांछनीय घटकों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु विभिन्न नवाचार/अभिनव प्रयास तथा समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना (Integrated Gram Panchayat Development Plan or IGDP) के नियोजन एवं कियान्वयन के लिये स्वतंत्र रहे एवं योजना में समय समय पर गुणात्मक परिणाम के लिये आंशित संशोधन किये जाने हेतु लचीलापन (Flexibility) बनी रहे।

7.4 समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना अथवा आई0जी0पी0डी0पी0 तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाई द्वारा पृथक से प्रकियात्कम विस्तृत निर्देश भी जारी किये जायेंगे। यद्यपि आई0जी0पी0डी0पी0 का अनुमोदन ग्राम सभा से किया जाना नितान्त आवश्यक होगा ताकि उस ग्राम पंचायत के समस्त निवासियों को पूर्ण जानकारी रहे एवं कियान्वयन में समस्त ग्रामवासियो की सहभागिता रहे।

7.5 आई0जी0पी0डी0पी0 तैयार करते समय चयनित पंचायतों में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राज्य में पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड द्वारा ए0पी0जे0अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना संचालित की जा रही है, के साथ भी तालमेल किया जा सकता है।

7.6 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत यह पहल भी की गई है कि धरातल पर विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन में लगे विभागीय कार्मिकों/परामर्शदाताओं आदि स्टेकहोल्डर्स की प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर प्रत्येक छः माह में एक writeshop आयोजित की जायेगी। उक्त writeshop में विकासखण्डवार चयनित ग्राम पंचायतों के किये जा रहे कार्यो पर वयापक चर्चा, समीक्षा तथा भावी कियान्वयन हेतु चर्चा उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनोपरांत चयनित ग्राम पंचायतों के जनपदों/विकासखण्डो में योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु समय–समय पर परामर्शिका (Advisiory) जारी की जायेगी, जो कि योजना में भावी गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यकीय होगा। साथ ही योजना के प्रभावी कियान्यवन हेतु समस्त रेखीय विभागों/स्टेकहोल्डर्स की भूमिका तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।

7.7 प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से निर्धारित **परिशिष्ट–1** पर संलग्न प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावों का संबंधित जनपद द्वारा संकलन किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद के ऐसे

प्रस्तावों जिनमें सी0जी0एफ0 से वित्त पोषण प्रस्तावित हो, पर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सम्मुख प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा। राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। यदि अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आहूत करने में समय लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाई द्वारा पत्रावली पर अध्यक्ष अधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदन लिया जायेगा तथा आगामी बैठक में ऐसी समस्त स्वीकृतियों पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। शेष केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण के प्रस्तावों पर जनपद स्तरीय नियेाजन एवं अनुश्रवण समिति अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी। आई0जी0पी0डी0पी0 परिशिष्ट–1 में दिये गये प्रपत्र पर ही तैयार किये जायेंगे।

7.8 प्रस्तावित प्रस्तावों में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिसम्पतियों के सृजन उपरांत अथवा ऐसी विकास योजनाओं जिनमें प्रचालन तथा रखरखाव आवश्यक हो, का भावी प्रचालन एवं रखरखाव (Operation & Maintenance–O&M) ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से किया जाय।

7.9 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रक्रिया एवं श्रेष्ठ कार्यो के कियान्यवन, अभिलेखीकरण, व्यापक प्रचार प्रसार आदि तथा पथ–प्रदर्शक की भूमिका वाली पंचायतों एवं कार्मिकों को विशिष्ट प्रोत्साहन दिया जायेगा, जिसमें पुरस्कार, प्रदर्शन भ्रमण तथा संसाधन व्यक्ति नामित करना आदि शामिल होगा।

7.10 विभाग द्वारा ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत को बुनियादी इकाई मानते हुये उपयुक्त सूचना तंत्र (एम0आई0एस0) विकसित किया जायेगा तथा प्रत्येक जनपद में योजना की वित्तीय तथा भौंतिक प्रगति को वेब आधारित अपडेट किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

7.11 ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित रेखीय विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ मानव संसाधन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जायेगी।

7.12 विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/शोध संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं/सी0एस0 आर0फर्मों/कोपरेटिव/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा भी चिन्हित ग्राम पंचायतों के विकास हेतु स्वयं के वित्तीय संसाधनों/विभिन्न वित्तीय संस्थानों से योजना स्वीकृत कराकर अथवा सी0एस0आर0 धनराशि का प्रबंध करते हुये विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/परियोजनाओं/नवाचार परियोजनाओं का कियान्वयन/नियोजन /मूल्यसंवर्धन/विपणन सुविधाओं का विकास आदि कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार के अभिनव प्रयोगों के लिये संबंधित संस्थान द्वारा कियान्वयन से पूर्व जनपद स्तर पर संबंधित मुख्य विकास अधिकारी अथवा राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिये।

7.13 जहां संभव हो, पंचायती राज संस्था तथा सामुदायिक संगठनों (एस0एस0जी0/ग्राम संगठनों आदि) के मध्य बेहतर तालमेल कर विभिन्न कार्यो हेतु सामुदायिक संगठनो का सहयोग लिया जाना चाहिये।

7.14 प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक नोडल अधिकारी होगा जो कि राज्य/जनपद स्तर/विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय का अधिकारी/कार्मिक हो सकता है। नोडल अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत में योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन तथा

रेखीय विभागों से तालमेल, नवाचार, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण आदि में सहायता करेगा तथा प्रभावी कियान्यवन हेतु समय–2 पर अपने सुझाव एवं संस्तुतियां सीधे राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाई/ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित कर सकता है। विभाग द्वारा इन संस्तुतियों/सुझावों के आधार पर औचित्यपूर्ण कार्यवाही हेतु परामर्शिका निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7.15 ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा सकने वाली अथवा विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण की संभावना वाली योजनायों/परियोजनाओं, राज्य पोषित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं की दृष्टान्त सूची (Illustrative List) पृथक से भी जारी की जायेगी। यह सूची कदापि परिपूर्ण (exhaustive) नहीं मानी जानी चाहिये।

7.16 योजना के कियान्यवन में समस्त वित्तीय नियम, अधिप्राप्ति नियमावली, सूचना अधिकार अधिनियम आदि यथानियमानुसार लागू होंगे।

7.17 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा, मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमों आदि में संशोधन/अवक्रमण/प्रतिस्थापन का अधिकार, इस हेतु गठित अधिकार प्राप्त समिति को होगी, जिसके अनुमोदनोपरांत ग्राम्य विकास विभाग/राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाई द्वारा आदेश/परामर्शिका जारी की जायेगी।

8. **समीक्षा, निगरानी तथा मूल्यांकन** (Review, Monitoring & Evaluation)–

उक्त योजना की शासन स्तर पर समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी साथ ही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की माध्यम से भी जनपदवार समीक्षा की जायेगी।

8.1 सामाजिक अंकेक्षण तथा समुदाय आधारित निगरानी मे भी किया जाना चाहिये।

8.2 आनलाईन एम0आई0एस0 की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

9. **निधियों का प्रवाह (Fund Flow)** –

9.1 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास येाजनओं को कियान्यवन सीधे अथवा केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण के माध्यम से किया जायेगा।

9.2 पंचायत स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमोदिन योजनाओं की कुल प्रस्तावित लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत राशि ही सी0जी0एफ0 के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका उपयोग विन्दु संख्या 7.1 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत ही किया जायेगा। केवल सी0जी0एफ0 वाले प्रस्ताव ही अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनार्थ जनपदों द्वारा प्रस्तुत किये जायेगें शेष प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु जनपद स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

9.3 राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाई द्वारा विभिन्न रेखीय विभागों के साथ तालमेल करते हुये यथा संभव एक निर्धारित अंश उक्त ग्रामपंचायतों में कतिपय कार्यो यथा कार्यशाला/राइटशाप के आयोजन, प्रचार–प्रसार, अभिलेखीकरण, आडियो–विजुवल सहायतायें, नवाचार, पुस्कार, क्षमता विकास, तकनीकी तथा परामर्शी सहायता एवं योजना से संबंधित विशिष्ट कियाकलापों हेतु किया जा सकता है। इन कार्यों हेतु योजना के अर्न्तगत प्रशासनिक व्यय का प्राविधान किया जा रहा है। प्रशासनिक व्यय के अर्न्तगत ही तथा इस योजना की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष में ₹20,000 प्रति ग्राम पंचायत उपयोग करने का प्राविधान किया गया है।

10. प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Arrangement)–

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कियान्वयन वर्तमान में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ही किया जायेगा। राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग उक्त योजना का कार्यान्वयन करेगा जबकि जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी उक्त योजना के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। यद्यपि कियान्वयन में विशिष्ट कार्यो हेतु परामर्शदाता सेवायें ली जा सकती है।

11. राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय समितियां (State level/ District level/Block level Committes)–

राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (state level Empowered committee)

मुख्य सचिव : अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास : उपाध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास : सदस्य संयोजक
निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवः–

- वित एवं नियोजन,
- पंचायतीराज,
- सिंचाई/लघु सिंचाई,
- ऊर्जा/वैकल्पिक उर्जा,
- पर्यटन/खेलकूद,

- सहकारिता,
- महिला एवं बाल विकास,
- पेयजल एवं स्वच्छता,
- समाज कल्याण,
- विद्यालयी शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा,
- कृषि एवं बागवानी/पशुपालन/दुग्ध विकास/मत्स्य,
- उद्योग/लघु उद्यम/सूक्ष्म उद्यम एवं मध्यम उद्यम,
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
- वन,
- राजस्व,
- लोक निर्माण विभाग,
- ग्रामीण निर्माण विकास विभाग,
- स्वास्थ/चिकित्सा शिक्षा,
- सूचना प्रौद्योगिकी,
- राज्य में संचालित विभिन्न मिशन तथा वाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रमुख एवं
- अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नामित अन्य प्रतिनिधि।

11.1 जनपद स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति

(District level Empowered Planning & Monitoring committee)– जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त रेखीय विभाग के अधिकारियों की जनपद स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी जो उक्त योजना के नियोजन तथा कियान्वयन हेतु जबाबदेह होगी। उक्त समिति का सदस्य संयोजक मुख्य विकास अधिकारी होगे तथा समिति के अन्य सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे।

11.2 विकासखंड स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति

(Block level Planning & Monitoring committee)

विकासखण्ड स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त रेखीय विभाग के अधिकारियों की विकासखंड स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी जो उक्त योजना के नियोजन तथा कियान्वयन हेतु जबाबदेह होगी। उक्त समिति का गठन प्रत्येक विकासखंड में खंड विकास आधिकारी अपने स्तर से करेंगे।

12. समय सीमा (Timeline)

क0 सं0	पद / चरण	समयसीमा
1.	ग्राम पंचायत का चिन्हीकरण, अधिसूचना, वातावरण निर्माण तथा ग्राम पंचायत प्रोफाइलिंग तथा आवश्यकताओं का निर्धारण तथा विश्लेषण	07 फरवरी तक
2.	समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना (Integrated Gram Panchayat Development Plan- IGPDP) का निर्माण तथा ग्राम सभा की बैठक में IGPDP पर अनुमोदन	23 फरवरी तक
3.	विकास खंड के माध्यम से IGPDP जनपद स्तरीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को प्रेषण तथा IGPDP का परीक्षण / आवश्यकतानुरूप संसोधन एवं अनुमोदन	04 मार्च तक
4.	जिलाधिकारी के माध्यम से सी0जी0एफ0 वाली योजनाओं का ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषण तथा अधिकार प्राप्त समिति के सम्मुख स्वीकति हेतु प्रस्तुतिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा IGPDP पर स्वीकृति	13 मार्च तक
5.	ग्राम पंचायत स्तर पर धरातलीय कियान्वयन	स्वीकृति जारी होने के तत्काल बाद।

परिशिष्ट–1

ग्राम पंचायत का नाम.....न्याय पंचायत का नाम.....

विकासखण्ड.....

जनपद.....

वित्तीय वर्ष.....

क्रम सं0	ग्राम पचायत की प्रस्तावित योजना का नाम	अभिसरण /कियान्वित की जाने वाली योजना (ओं)का नाम	कुल आवश्यक लागत (रू0 लाख में)	योजना /अन्य मद से उपलब्ध कराया जा रहा वित्तपोषण का विवरण (रू0लाख में)							कुल लागत	ग्राम सभा से प्रस्ताव अनुमोदन की तिथि
				केन्द्र सरकार का अंश	राज्य सरकार का अंश	वाहय सहायतित योजना अंश	स्वरोजगारी /पंचायत का अंशदान	सी0एस0आर0	अन्य मद (नाम लिखें)	वित्तपोषण का अन्तर जो सी0जी0एफ0 से दिया जाना प्रस्तावित है (रू0 लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1												
2												
3												
4												
5												